राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प.10(1)कार्मिक/क–2/75 पार्ट जयपुर, दिनांक 21/7/2000

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)
3. समस्त विशिष्ठ शासन सचिव/शासन उप सचिव

परिपत्र

विषयः विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवकों की पदोन्नति के संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही, आपराधिक प्रकरण, निलम्बन, दण्डादेश की स्थिति का राजसेवक की पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्ति तिथि की स्थिति में विचार करने बाबत ।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 द्वारा पूर्ववर्ती वर्षो से संबंधित रिक्तियों के संदर्भ में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अथवा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के पुनर्विलोकन के संदर्भ में ये दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे कि:–

1. विभागीय पदोन्नति समितियां राजसेवकों की पदोन्नति पर विचार करते समय उन्हीं अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों को पदोन्नति हेतु विचारार्थ लेगी जो विभागीय पदोन्नति समिति के रिक्ति वर्ष के दिनांक 1 अप्रेल की स्थिति तक लम्बित हों।

   यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक प्रकरण उक्त तिथि के बाद में प्रारम्भ होकर संस्थित होता है, तो वह इस विभागीय पदोन्नति समिति के विचार योग्य नहीं होगा और तद्नुसार वह उपेक्षित होगा ।

2. इसी प्रकार जिस वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नतियों हेतु विचार कर रही है, उस विभागीय पदोन्नति समिति के रिक्ति वर्ष की 1 अप्रेल तक की स्थिति में जो दण्डादेश विद्यमान हों, वे ही विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ लिये जावेंगे और जो दण्डादेश उक्त विभागीय पदोन्नति समिति के रिक्ति वर्ष के 1 अप्रेल के पूर्व प्रारम्भ हुई अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण के परिणामस्वरूप अधिरोपित हुये हैं, वे भी विचार योग्य होंगे। लेकिन उक्त विभागीय पदोन्नति समिति के रिक्ति वर्ष की 1 अप्रेल के बाद प्रारम्भ होकर अधिरोपित दण्डादेश विचार योग्य नहीं होकर उपेक्षा योग्य होंगे ।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु 1 अप्रेल की स्थिति में उपलब्ध रिक्तियों के अतिरिक्त पूरे रिक्ति वर्ष की अवधि में विभिन्न तिथियों को उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की भी गणना की जाती है जो नव सृजित पदों, सेवानिवृत्ति आदि अन्य कारणोंवश उपलब्ध होती है । अतः इनकी गणना भी दिनांक 1 अप्रेल की स्थिति में अग्रिम रूप से कर उन पर विभागीय पदोन्नति समिति में विचार करके पदोन्नति हेतु सिफारिश की जाती है ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि जो रिक्तियां विभागीय पदोन्नति समिति के रिक्ति वर्ष में 1 अप्रेल के उपरांत विभिन्न तिथियों को उपलब्ध होती हैं, उनके संदर्भ में इस विभाग के उक्त समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 के दिशा–निर्देशों का सही परिप्रेक्ष्य में अनुपालन नहीं हो रहा है और यह देखने में आया है कि जो रिक्तियां 1 अप्रेल के बाद में उपलब्ध हो रही हैं, उनके विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन की स्थिति का आंकलन 1 अप्रेल की स्थिति में ही किया जा रहा है जबकि अभ्यर्थी 1 अप्रेल को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित नहीं होकर पश्चात्वर्ती अवधि में उपलब्ध हुई रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि रिक्ति जिस समय बिन्दू पर उपलब्ध हुई है, उस दिवस की स्थिति में ही पात्र राजसेवक की अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश की स्थिति का आंकलन किया जाना वांछित होता है, जो नहीं किया जा रहा है ।

--- 2

अतः इस संदर्भ में परिपत्र दिनांक 10.8.2001 की निरन्तरता में सभी विभागीय पदोन्नति समिति के प्रयोजनार्थ अब यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी पदोन्नति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन की स्थिति का आंकलन उस रिक्ति की तिथि के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन इत्यादि पर डी.पी.सी. को विचार करना होगा ।

2. जिन प्रकरणों में रिक्ति की उपलब्धता की तिथि से पूर्व ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो तो संबंधित राजसेवक के चयनित हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश प्रसारित करने से पूर्व संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि चयनित राजसेवक रिक्ति की उपलब्धता की तिथि तक के सेवा अभिलेख के तौर पर स्वच्छ छवि का है अर्थात् वह जिस तिथि को रिक्ति उपलब्ध हुई है, उस तिथि तक अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश एवं निलम्बन की स्थिति में नहीं हो, अन्यथा स्थिति में उसकी पदोन्नति को आस्थगित रखते हुये समिति की सिफारिशों को सील्ड कवर में रखे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

3. जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति संमिति की बैठक आयोजित हो चुकी है और राजसेवक जिस उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उस रिक्ति की उपलब्धता की तिथि से पूर्व ही राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण प्रारम्भ होकर निर्णित हो जाता है और उसे शास्ति अथवा दण्ड अधिरोपित हो जाता है तो उसके पदोन्नति आदेश प्रसारित नहीं किये जावेंगे और उसकी पदोन्नति संबंधी सिफारिशों को आस्थगित रखते हुये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके प्रकरण के पुनर्विलोकन की कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि उक्त अयोग्य हो चुके राजसेवक की पदोन्नति का प्रकरण निस्तारित होकर अन्य पात्र राजसेवक को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके ।

4. ऐसे प्रकरणों जिनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और राजसेवक के पदोन्नति का आदेश प्रसारित होने से पूर्व यदि अन्य किसी मामले में यह राजसेवक निलम्बित हो जाता है तो वह राजसेवक उस प्रकरण में जब तक राज्य सेवा में पुनः निलम्बन से बहाल नहीं हो जावे, तब तक पदोन्नति आदेश आस्थगित रखे जायेंगे ।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों की आवश्यक रूप से अनुपालना सुनिश्चित करें ।

(मुकेश शर्मा) 21/7/06
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

11/06